न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपीडी/टीए/5887/2004/बांरा

श्रीमती गुलाब बाई बेवा घासीलाल जाति बैरवा निवासी अमृतखेडी तहसील अटरू जिला बांरा

अपीलार्थी

बनाम

1 भैरूलाल पुत्र देवीलाल जाति बैरवा निवासी अमृतखेडी
2 प्रभूलाल पुत्र धन्नालाल जाति बैरवा निवासी खेडलीरावान
3 छीतरलाल पुत्र रोडूलाल बैरवा निवासी निपानीयान
4 रामस्वरूप पुत्र छीतरलाल बैरवा हाल निवासी सालपुर तहसील अटरू
5 श्रीमती रामजानकी पुत्री घासीलाल बैरवा निवासी अमृतखेडी तहसील अटरू जिला बांरा

प्रत्यर्थीगण

खण्ड पीठ
श्री मोडूदान देथा, सदस्य
श्री विजय कुमार सोनी, सदस्य

उपस्थितः श्री अशोक अग्रवाल वकील अपीलार्थी।
प्रत्यर्थीगण बावजूद सूचना अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांकः.22.6.2018

यह द्वितीय अपील धारा 224 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (संक्षेप में अधिनियम) के अन्तर्गत भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा द्वारा अपील संख्या 21/2003 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 3.11.2004 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वादी अपीलार्थी प्रत्यर्थी संख्या 1 भैरूलाल ने एक वाद धारा 183 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का उप जिला कलक्टर, अटरू के समक्ष प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा अमृत खेडी स्थित आराजी खसरा नम्बर 371 रकबा 0.68 हेक्टर तथा खसरा नम्बर

372/429 रकबा 0.28 हेक्टर भूमि वादी के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की है। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 वर्तमान अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी संख्या 2 जबरन उक्त आराजीयात को प्रतिवादी संख्या 3 व 4 को काश्त पर देकर कब्जा करना चाहते हैं। अतः वाद स्वीकार कर डिक्री किया जावे। प्रतिवादीगण ने जबाबदावा मय काउन्टर क्लेम प्रस्तुत किया। विचारण न्यायालय ने दावे व जबाबदावे के आधार पर 9 तनकियात कायम की एवं निर्णय दिनांक 29.11.2002 से वादी का वाद स्वीकार कर डिक्री कर दिया। इसके विरूद्ध प्रतिवादी वर्तमान अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी संख्या 5 ने भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा के न्यायालय में प्रथम अपील प्रस्तुत की। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने निर्णय दिनांक 3.11. 2004 से अपील खारिज कर दी। इससे व्यथित होकर अपीलार्थी ने यह द्वितीय अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपनी बहस में तर्क दिया कि वादी प्रत्यर्थी संख्या 1 ने अपने वाद को साबित नहीं किया है। स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष प्राप्त करने हेतु वादी को यह साबित करना होगा कि वह दावा दायरी के दिन भौतिक रूप से विवादित भूमि पर काबिज था। वादी ने भौतिक रूप से काबिज होना साबित नहीं किया है जिससे उसका दावा नहीं चला सकता। काबिज व्यक्ति को बेदखल नहीं किया जा सकता। नायब तहसीलदार की मौका रिपोर्ट फर्जी एवं बनावटी है। वह कभी भी मौके पर नहीं गये। मौके पर विवादित भूमि पर अपीलार्थी का कब्जा काश्त चला आ रहा है। बेदखली का अनुतोष वाद में मांगे जाने से यह स्पष्ट है कि दावा दायरी के दिन वादी प्रत्यर्थी विवादित भूमि पर काबिज नहीं थे जिससे उनका दावा चलने योग्य नहीं है। अतः अपील स्वीकार की जावे।

4. हमने विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। प्रत्यर्थीगण बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहे।

5. विचारण न्यायालय ने विवादित आराजीयात वादी की खातेदारी की एवं कब्जे काश्त की होना तथा आराजी खसरा नम्बर 371 पर प्रतिवादी द्वारा अनाधिकार जबरन कब्जा कर लिया जाना साबित मानते हुए वादी का वाद स्वीकार कर डिक्री किया है। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने भी समवर्ती निर्णय पारित करते हुए अपील खारिज की है।

6. पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेख जमाबन्दी दिनांक 1 जुलाई 1989 से 30 जून, 2009 प्रदर्श पी 1 के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि वादी भैरूलाल विवादित आराजीयात का खातेदार काश्तकार है। खसरा गिरदावरी सम्वत 2050 प्रदर्शी पी2 भी

भेरूलाल वादी के नाम की है। प्रदर्श पी4 नायब तहसीलदार की मौका रिपोर्ट दिनांक 19.4.94 के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 371 से गुलाब बाई को बेदखल कर कब्जा वादी भैरूलाल को दिलाया गया है।

7. राजस्व अभिलेख के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि वादी प्रत्यर्थी संख्या 1 विवादित भूमि का खातेदार काश्तकार है तथा विवादित भूमि पर नायब तहसीलदार अटरू की मौका रिपोर्ट दिनांक 19.4. 94 से यह स्पष्ट है कि विवादित भूमि खसरा नम्बर 371 से गुलाब बाई को दिनांक 19.4.94 को बेदखल कर कब्जा वादी भैरूलाल को दिलाया गया है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि विवादित भूमि का वादी प्रत्यर्थी संख्या 1 खातेदार होकर काबिज काश्तकार है। खसरा नम्बर 371 पर प्रतिवादी अपीलार्थी द्वारा पुनः अतिक्रमण कर लिये जाने पर यह दावा प्रस्तुत किये जाने पर उसे बेदखल कर कब्जा दिलाया जाने का आदेश दिया गया है जो विधि अनुरूप है क्योंकि विवादित भूमि पर प्रतिवादी अपीलार्थी के कब्जे का कोई आधार प्रस्तुत नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी अतिक्रमी होने से उसे बेदखल किया जाने का दिया गया आदेश न्यायोचित होने से हम इस अपील में कोई सार नहीं पाते हैं एवं खारिज करना उचित समझते हैं।

8. अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार यह अपील खारिज की जाती है एवं भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा का निर्णय व डिक्री दिनांक 3.11.2004 यथावत रखा जाता है।

निर्णय लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विजय कुमार सोनी)
सदस्य

(मोडूदान देथा)
सदस्य